18/11/19 पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 5 एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित।
वादीगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण डिक्री कराये जाने का मय आपसी सहमति विलेख (राजीनामा) के पेश किया गया। वादीगण द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या-7 मैसर्स देवगंगा कॉर्पोरेशन जरिये श्री अखिलेश सुहालका व श्री राजेश सुहालका एवं वादीगण श्रीमती कस्तुर कुंवर व श्रीमती उषा के मध्य उक्त वाद वर्णित सम्पत्ति को लेकर सौहार्द्र व सहमति की भावना के साथ शान्तिपूर्ण ढंग से आपसी राजीनामा हो गया है।

Manju

Scanned by CamScanner

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

कस्तुर कुंवर विपक्षी प्रतापबाई

वाद पत्रावली संख्या 366 सन् 19

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
उक्त आपसी राजीनामे के तहत वादीगण द्वारा संस्थित वाद पत्र की क्रम संख्या-2(अ) व (2ब) मे वर्णित सम्पत्ति मे वादीगण का कोई हित हिस्सा व अधिकार निहित नही रहा है। ऐसी स्थिति मे उक्त वाद को चलाये जाने का कोई औचित्य नही रहने से वादीगण स्वेच्छा से उक्त वाद में प्रतिवादीगण के विरुद्ध आगे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते है। आपसी राजीनामा होने से वादीगण स्वेच्छा से उक्त वाद को इसी स्टेज पर विड्रो करते है। अत: वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद को इसी स्टेज पर निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। प्रतिवादी संख्या-2 व 5 की ओर से भी उनके अधि वक्ता श्री संजय चौधरी द्वारा वकालत पत्र मय प्रार्थना पत्र वास्ते प्रतिदावे को विड्रो करने पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 व 5 की ओर से प्रस्तुत पृथक-पृथक प्रार्थना में, उक्त वाद वर्णित भूमि बाबत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-7 के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से, ~~प्रतिदावे को~~ ~~व~~ वादीगण द्वारा वाद विड्रो कराये जाने से, प्रतिदावे को भी विड्रो करने का निवेदन किया है।	

Sd/-

न्यायालय में वादीगण कस्तुर कुंवर एवं उषा तथा प्रतिवादीगण संख्या-2 दिनेशचन्द्र व प्रतिवादी संख्या-5 करण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपने-अपने वाद एवं प्रतिवाद को विड्रो करने हेतु सहमत होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादीगण एवं प्रतिवादगण की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा की गई। न्यायालय में पूछने पर भी स्वेच्छा से अपना वाद एवं प्रतिवाद विड्रो करना पक्षकारान द्वारा बताया गया। एवं वाद एवं प्रतिवाद के विड्रो करने में किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं वाद विड्रो प्रार्थना पत्र एवं प्रतिवाद विड्रो प्रार्थनापत्रों के अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादीगण स्वयं अपनी इच्छा से वाद विड्रो करना चाहते है, जिसमें आपसी राजीनामा हो चुका है। प्रतिवादीगण संख्या-2 व 5 भी उक्त वाद विड्रो किये जाने से अपना-अपना प्रतिवाद विड्रो करना चाहते है। विड्रो वाकत पक्षकार सहमत होकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा शा० फा० हो।

अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-2 व 5 द्वारा विड्रो हेतु सहमत होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विड्रो स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी गणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद विड्रो का प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र वाद विड्रो एवं प्रतिवाद विड्रो

Mayur

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

कस्तुर कुंवर — विपक्षी — प्रतापबाई

वाद — पत्रावली संख्या 366 सन् 19

क्रमा	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	का स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे कार्यवाही इसी स्टेज पर समाप्त की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	

Manju

डा. मन्जु (I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) गिर्वा
कलक्टर परिसर, उदयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.10 15:12:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: